न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—332/2018 (जीसीएमएस 2018/00180)

01. महेश कुमार कैया पुत्र श्री विशम्भर लाल कैया जाति महाजन निवासी राणीसती रोड़, चूणा चौक, तहसील व जिला झुन्झुनू।

——————अपीलांट

बनाम

01. अंजनी अग्रवाल पुत्र नथमल कैया, जाति महाजन, निवासी राणीसती रोड, कैया की हवेली, झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
02. सरला देवी पत्नी बजरंगलाल, जाति महाजन, निवासी राणीसती रोड, कैया की हवेली, झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
03. अजय पुत्र बजरंग लाल,
04. संजय पुत्र बजरंग लाल,
05. शिल्पा पुत्री बजरंग लाल,
06. प्रेमलता पुत्री मदनलाल,
07. गायत्री देवी पत्नी नथमल कैया,
08. सरोज देवी पुत्री नथमल कैया,
09. केसरी देवी पुत्री बनारसी लाल,
10. विमला देवी पुत्री बनारसी लाल,
11. संतोष देवी पुत्री बनारसी लाल,
12. अलका पुत्री सत्यभामा,
13. उमा पुत्री सत्यभामा,
14. अरुण पुत्र सत्यभामा,
15. अशोक पुत्र रामदुलारी,
16. चन्दा पुत्री रामदुलारी,
17. आशा पुत्री रामदुलारी,
18. बनवारीलाल कैया पुत्र ज्वालाप्रसाद कैया,
19. श्रवणी देवी पत्नी नन्दलाल कैया,
20. मीना पोदार पुत्री नन्दलाल कैया,
21. प्रदीप कैया पुत्र नन्दलाल कैया,
22. अनिल कैया पुत्र नन्दलाल कैया,
23. तारा देवी सर्राफ पुत्री ज्वालाप्रसाद कैया,
24. मनी देवी कयाल पुत्री ज्वालाप्रसाद कैया,
25. गौरीशंकर पुत्र किशनलाल कैया,
26. पवन पुत्र किशनलाल कैया,
27. कैलाश पुत्र किशनलाल कैया,
28. शकुन्तला पुत्री किशनलाल कैया,
29. पुष्पा पुत्री किशनलाल कैया,
30. सुमित्रा पुत्री किशनलाल कैया, समस्त जाति महाजन, समस्त निवासीयान राणीसती रोड़, कैया की हवेली, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।
31. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।
32. प्रमोद कैया पुत्र विशम्भरलाल कैया,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

33. सन्तरा देवी पत्नी विशम्भरलाल कैया,
34. मुरारीलाल पुत्र स्व. ओम प्रकाश जाति महाजन समस्त निवासी राणीसती रोड़, कैया की हवेली, तहसील व जिला झुन्झुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 15.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 650, 651/3, 653/1 व 651 के हाल खसरा नम्बर 2629, 2629/4037 व खसरा नम्बर 2636 एवं खसरा नम्बर 2629/4038 के जमाबंदी में रामदीन, मदनलाल पुत्रान सूरजमल रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं तथा अपीलार्थी स्व. रामदीन के पुत्र विशम्भरदयाल का पुत्र है अर्थात् स्व. रामदीन का पौत्र है तथा भूमि वादग्रस्त पैत्रिक भूमि है तथा पक्षकारान स्व. सूरजमल पुत्र जानकीदास महाराज के वंशज उत्तराधिकारी हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि स्व. जानकीदास के पुत्र मुरलीधर, ज्वालाप्रसाद तथा बनारसीलाल पुत्र बसन्तलाल ने सहायक कलेक्टर झुन्झुनू के समक्ष एक वाद संख्या 112/77 बाबत् घोषणा का उनवानी मुरलीधर बनाम मदनलाल का सन् 1977 में पेश किया, उक्त वाद में अपीलार्थी के दादा स्व. रामदीन के पक्षकार नहीं बनाया गया, एवं उक्त वाद साजशी तौर पर दिनाँक 02.05.1979 को डिक्री किया गया जिससे अपीलार्थी व रेस्पोडेंट सं. 32 से 34 उक्त फर्जी डिक्री से कतई पाबंद नहीं हैं एवं तथाकथित डिक्री अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 32 से 34 के अधिकारों के विरुद्ध शून्य व बेअसर हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तथाकथित डिक्री दिनाँक 02.05. 1979 की पालना में दिनाँक 10.05.1990 को करीब 11 वर्ष बाद बिना किसी विधिक अधिकार के मियाद बाहर तहसीलदार झुन्झुनू ने नामान्तरकरण संख्या 1906 तस्दीक किया गया, किन्तु उक्त नामान्तकरण संख्या 1906 का आज दिनाँक तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ, अर्थात् पूर्व इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड यथावत कायम रहे। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 32 से 34 को पक्षकार ना बनाते हुए रेस्पोडेंट संख्या एक ने दिनाँक 20.04.2018 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत एक अपोषनीय प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसे परीक्षण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही दिनाँक 09.05.2018 को मात्र 18 दिन में ही अनुचित एवं अंवैध रुप से अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर स्वीकार कर लिया जो आदेश विधि विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा दिनाँक 20.04.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परीक्षण न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया था कि ''रीडर, एडवोकेट राजवीर बुहाड़िया द्वारा पेश किया गया है, बाद रिपोर्ट पेश हो'' किन्तु प्रार्थना–पत्र की कोई जाँच रिपोर्ट पेश नहीं की गई एवं दिनाँक 20.04.2018 को परीक्षण न्यायालय ने अपना यह आदेश पारित किया कि हमने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करना न्यायालय स्वप्रेरणा पर उचित नहीं समझा जाकर बल्कि आदेश 15 वाद सूट का प्रथम सुनवाई तिथि पर निपटारा प्रावधानों की रोशनी में सुनवाई करना न्यायोचित है। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनाँक 30.04.2018 को पेश हो। दिनाँक 30.04.2018 को लोक अदालत में व्यस्त रहने से आदेश नहीं सुनाया गया एवं दिनाँक 09.05.2018 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही एवं प्राकृतिक न्याय के सहज एवं सामान्य सिद्धान्तों की घोर उपेक्षा कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो निरस्तनीय हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट सं. 02 से 30 को प्रार्थना–पत्र के नोटिस ही जारी नहीं किये गये, तो उनके द्वारा अपनी सहमति देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, अप्रार्थी संख्या 31 तहसीलदार झुन्झुनू से राजस्व रिकॉर्ड व मौके की जाँच रिपोर्ट ही नहीं ली गई, ना ही तहसीलदार, झुन्झुनू को परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 15 को भी परीक्षण न्यायालय ने कतई सही अर्थों में नहीं समझा क्योंकि आदेश–15 दावों पर लागू होता है, ना कि भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों पर। उन्होने आगे कथन किया है कि जिस प्रकार के तथ्य रेस्पोडेंट संख्या एक अन्जनी अग्रवाल ने अपने प्रार्थना–पत्र धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम में दर्ज किये है, उन आधारों पर 136 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषनीय एवं संधारणीय ही नहीं था एवं उस पर ऐसा आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार परीक्षण न्यायालय को प्राप्त नहीं था जिससे आदेश जैर अपील क्षेत्राधिकार विहीन, मनमाना, अविवेकपूर्ण एवं नॉन–स्पीकिंग व अनरिजल्ट होने से निरस्तनीय हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने आगे कथन किया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय जैर अपील में यह कहना कि सहायक कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाँक 02.05.1979 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1906 दिनाँक 10.05. 1990 के अनुसार मुरलीधर कैया, ज्वालाप्रसाद कैया पुत्रगण जानकीदास व बनारसीलाल कैया पुत्र बसंतलाल व मदनलाल पुत्र सूरजमल कैया को बराबर–बराबर 1/4 हिस्से के खातेदार के रुप में भरा गया, जिसका अमल जंमाबंदी संख्या 2028 से 2031 तक अमल होना स्पष्ट जाहिर हैं,'' उक्त कथन परीक्षण न्यायालय का पूर्णतया उनकी ज्यूडिशियल डिस–ऑनेस्टी व ना–समझी का घौतक है, क्योंकि जिस दिनाँक 02.05.1979 को सहायक कलेक्टर झुन्झुनू ने अपना निर्णय व डिक्री पारित की, उस समय संवत् 2036 आता है, ना कि संवत् 2028 से 2031 सन् 1971 में आता है, 1979 की डिक्री का अमल दरामद सन् 1971 में कैसे हो सकता है, जबकि डिक्री ही बाद में सन् 1979 संवत् 2036 में पारित की गई है,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं नामान्तकरण संख्या 1906 ही बाद में सन् 1990 में स्वीकृत तस्दीक किया गया हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अंजली अग्रवाल द्वारा अपीलार्थी व रामदीन के उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये बिना ही दिनांक 20.04.2018 को नामान्तरकरण संख्या 1906 जो डिक्री के आधार पर स्वीकृत किया गया था में दुरूस्ती किये जाने हेतु किये जाने हेतु भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे तुरन्त फुरन्त में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही मात्र 18 दिन में निर्णय पारित करवाया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही हो सकी तथा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 09.05.2018 को उस समय हुई जब कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपीलान्ट से यह कहा कि हमने तो राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराली है, इस पर अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के न्यायालय में जाकर इस सम्बन्ध में मालूमात की तो अपीलान्ट को दिनांक 01.03.2018 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई, इस पर दिनांक 14.08.2018 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तैयार होकर दिनांक 14.08.2018 को मिलने पर अपीलान्ट द्वारा जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. अलग से प्रस्तुत किये गये है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाये जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को मय खर्चे खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 20, 22, 25 से 30 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व में खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 30 के पूर्वज जानकीदास कैया थे तथा जानकीदास कैया के देहान्त के बाद उक्त भूमि जानकीदास के वारिसान उनके पुत्रगण मुरलीधर कैया, ज्वालाप्रसाद कैया, बसन्तलाल कैया व सूरजमल कैया के संयुक्त रूप से बराबर 1/4 हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ तथा जानकीदास कैया के सभी चारों पुत्रान का भी देहान्त होने के पश्चात् उनके वारिसान वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त हुए। उन्होने कथन किया है कि जानकीदास के पुत्र मुरलीधर कैया, ज्वालाप्रसाद व जानकीदास के पुत्र बसन्तलाल के देहान्त के बाद उसके पुत्र बनारसीलाल व जानकीदास के पुत्र सूरजमल कैया के पुत्र मदनलाल के मध्य उनके जीवनकाल में भूमि वादग्रस्त का एक दावा बाबत इस्तकरार हक न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू में किया गया जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू ने दिनांक 02.05.1979 को निर्णय पारित किया कि भूमि वादग्रस्त के मुरलीधर कैया, ज्वालाप्रसाद कैया पुत्रगण जानकीदास व बनारसीलाल कैया पुत्र बसन्तलाल व मदनलाल पुत्र सूरजमल कैया को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/4 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि सहायक कलक्टर झुन्झुनू के आदेश दिनांक 02.05.1979 की पालना में दिनांक 10.05.1990 को नामान्तरकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

संख्या 1906 मुरलीधर कैया, ज्वालाप्रसाद कैया पुत्रगण जानकीदास व बनारसीलाल कैया पुत्र बसन्तलाल व मदनलाल पुत्र सूरजमल कैया को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/4 के खातेदार काश्तकार के रूप में भरा गया तथा इसी अनुसार जमाबन्दी में राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया तथा इसी अनुसार काबिज काश्त हो गये लेकिन बाद में राजस्व कर्मचारियों की गलती से बाद की जमाबन्दियों में सूरजमल के वारिसान के नाम 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि सूरजमल का भूमि वादग्रस्त में न्यायालय के अदेशानुसार 1/4 हिस्सा ही है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 01.01.2001 के द्वारा खसरा नम्बर 640/1, 640/2, 640/3, 651/1 व 651/2 नगर पालिका झुन्झुनू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तथा शेष कृषि भूमि खसरा नम्बर 650, 651/2, 653/1, व 651/4 हाल खसरा नम्बर 229 2629/4037 व 2636 का राजस्व रिकार्ड राजस्व कर्मचारियों की गलती से नामान्तरकरण संख्या 1906 के समय की जमाबन्दी के बाद की जमाबन्दियों में गलत रूप से सूरजमल के वारिसान रामदीन व मदनलाल के नाम से 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि निर्णय दिनांक 02.05.1979 के अनुसार सूरजमल के वारिसान का 1/4 हिस्सा बनता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भूमि वादग्रस्त की जमाबन्दी निकलवाई तब रेस्पोडेन्ट को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तथा उक्त तथ्य की जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसका परीक्षण करने के उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फ़रमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारान के वारिस है जिससे भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी आदेश से वे प्रभावित पक्षकार होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पीसी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट स्वयं ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्व. सूरजमल के वारिसान रामदीन व मदनलाल को माना है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न सहायक कलक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 02.05.1979 की छाया प्रति से स्पष्ट होता है कि उक्त दावा स्व. श्री सूरजमल के एक वारिस मदनलाल को ही रेस्पोडेन्ट

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संख्या 1 संयोजित कर एवं स्व. सूरजमल के दुसरे वारिसान रामदीन को बिना पक्षकार बनाये एवं उन्हे बिना सुने ही निर्णय दिनांक 02.05.1979 पारित हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उक्त निर्णय दिनांक 02.05. 1979 की पालना में असाधारण 11 वर्ष के विलम्ब से नामान्तरकरण संख्या 1906 दिनांक 10.05.1990 को सूरजमल के वारिसान रामदीन व मदनलाल को बिना सुने ही स्वीकार किया गया है एवं लगभग 28 वर्ष पश्चात् असाधारण विलम्ब से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये ही पेश किया गया एवं उक्त असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और ना ही कोई संतोषजनक कारण ही अधीनस्थ न्यायालय को बताया गया, रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के रीडर की जॉच रिपोर्ट होने के आदेश दिनांक 20.04.2018 को किये गये है किन्तु पत्रावली पर रीडर की कोई जॉच रिपोर्ट नही है और प्रार्थना पत्र में 30 रेस्पोडेन्ट संयोजित किये गये है किन्तु एक भी रेस्पोडेन्ट को कोई नोटिस जारी नही किया गया है, तहसीलदार से भी भूमि वादग्रस्त बाबत किसी प्रकार की कोई मौका व रिकार्ड सम्बन्धी जॉच रिपोर्ट नही ली गई और बस प्रार्थना पत्र प्रस्तुती की दिनांक 20.04.2018 को ही प्रकरण वास्ते आदेश हेतु नियत कर दिया गया, दिनांक 30.04. 2018 को अन्य राजकार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश की तारीख 09.05.2018 नियत कर दिनांक 09.05.2018 को अपीलाधीन आदेश सुना दिया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण में बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया को अपनाये ही बहुत ही जल्दीबाजी में अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 को एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को भी निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी की अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।

15/9/21

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर